भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

CF-20 Rs.

4

माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०)

राजस्व निगरानी क्र० 1214-I/ सन् २००६

मुस० अनार कुंवर पत्नी नत्थू सिंह ठाकुर निवासी
ग्राम कुरेला हाल निवासी शिवराजपुर तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म०प्र० ------ ------ आवेदिका

बनाम

१- भवानीदीन सेन तनय विन्द्रावन सेन

२- हरदास सेन तनय विन्द्रावन सेन

३- बाबूलाल सेन तनय विन्द्रावन सेन

४- चन्द्रभान सेन तनय विन्द्रावन सेन

५- मुस० भागवती पत्नी शिवप्रसाद सेन

६- हरिशंकर उर्फ कल्लू तनय भवानीदीन सेन

७- मुकेश तनय हरदास सेन

८- नीरज तनय शिवप्रसाद सेन

९- बबलू तनय बाबूलाल सेन

१०- हिम्मतसिंह तनय नत्थूसिंह ठाकुर

निवासीगण शिवराजपुर तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म०प्र० ------- ---- अनावेदकगण

2079 पोस्ट ... 4-9-09 ... आफिस कोर्ट ... मण्डल म.प्र. ग्वालियर

Rm. 20/10/09

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय ... छतरपुर ... राजस्व मण्डल ... 20/10/09

निगरानी विरुद्ध माननीय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के अपील प्रकरण क्र० ४४८/०६ में पारित आदेश दिनांक ९-९-०८ से परिवेदित होकर।

महोदय,

आवेदिका सादर निम्नलिखित विनय प्रस्तुत करती है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

१- यह कि आराजी खसरा क्रमांक ३०६ रकबा १-४४३ हेक्टेयर का हिस्सा १/२ एवम् खसरा क्रमांक ६०४, ६०७, ६०६, ६११, ७९१/२ कुल

(69)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

मु0अनार कुंवर/भुवानीदीन सेन
जिला–छतरपुर

प्रकरण कमांक निगरानी 1214–एक/2009

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04.02.2015 सागर कैम्प	प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत दिनांक 19–11–09 से लगातार अनुपस्थित हैं आवेदक पक्ष को पेशी दिनांक 29–1–10 का नोटिस तामीली उपरांत भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। प्रकरण आवेदक अधिवक्ता की उपस्थित के लिये दिनांक 04–02–15 तक नियत होता रहा किन्तु दिनांक 19–11–09 से 04–02–15 तक न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता की उपस्थिति का इंतजार किया जाकर न्यायहित में आवेदक को पर्याप्त समय मिलने के पश्चात् भी वे अनुपस्थित रहे है। वहीं सुनवाई दिनांक 04–02–2015 को तीन बार पुकार लगवाई गई इसके पश्चात् भी कोई उपस्थित नहीं हुआ । उपरोक्त स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को इस प्रकरण को चलाने में कोई रूचि नहीं है । प्रकरण अनावश्यक रूप से वर्ष 2009 से लंबित चला आ रहा है । ऐसी स्थिति में आवेदक को प्रकरण को चलाने में कोई रूचि न होने के कारण प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । (हस्ताक्षर) **प्रशासकीय सदस्य**	